

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी:-पुष्कर

विपक्षी:- मांगीलाल

किस्म मुकदमा:-वाद

पत्रावली संख्या:-402 / 19

सन:- 2019

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक 09.01.2020</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली तहसीलदार रिपोर्ट पर आपत्ति बहस हेतु विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में रूक रूक कर तीन बार आवाज लगवायी गई, किन्तु कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय द्वारा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजीयात मौजा साकरोदा की आराजी संख्या 2530, 2565, 2525, 2526, 2527, 2528, 2563 व 2608 कुल किता 8 रकबा 2.4100 हैक्टर भूमि का सहमति विभाजन होकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार दर्ज हो चुकी है। अतः डिक्री की पालना सहमति विभाजन से हो चुकी है।</p> <p>वादी एवं प्रतिवादीगण भी दोनों पैरवी हेतु उपस्थित नहीं है। जिससे जाहिर है कि उक्त सहमति बटवाडे अनुसार सहमत होने से अब उभयपक्ष इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। एवं सहमति बंटवाडा हो जाने से अब कोई वाद कारण भी शेष नहीं रहता है।</p> <p>अतः तहसीलदार गिर्वा की रिपोर्ट अनुसार सहमति बंटवाडा होकर अब कोई वाद कारण शेष नहीं रहने से प्रकरण में कार्यवाही इसी स्टेज पर बन्द की जाती है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">डा0 मंजु (आइ.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) गिर्वा - उदयपुर</p>	

